भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1786

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइया/कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन

1786. **श्री परिमल शुक्ला बैद्यः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने वाले रसोइयों और अन्य कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मजदूरी/वेतन का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इन कामगारों को ऐसी मजदूरी/वेतन का भुगतान करने की कोई योजना है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों और कामगारों को मजदूरी/वेतन का भुगतान करने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो असम सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएच) की नियुक्ति सहित योजना के सुचारू संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, ये रसोइए-सह-सहायक अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं जो समाज सेवा करने के उद्देश्य से आगे आते हैं। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रसोइए-सह-सहायक को उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए एक वर्ष में 10 माह के लिए 1000/- रुपये प्रति माह का मानदेय निर्धारित किया गया है और इसे जारी रखा जा रहा है। इस मानदेय व्यय को असम राज्य सहित केंद्र सरकार तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य अनुमोदित सहभाजन ढांचे के अनुसार साझा किया जाता है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त निधियां प्रदान करके मानदेय

बढ़ाने की स्वतंत्रता है और कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराकर मानदेय का अनुपूरण करते हैं। असम राज्य ने सूचित किया है कि मानदेय का भुगतान फरवरी, 2025 तक किया गया है। असम सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सीसीएच का मानदेय संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री परिमल शुक्ला बैद्य द्वारा 'पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइया/कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन' के संबंध में दिनांक 10/03/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1786 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

रसोइया-सह-सहायक का प्रतिमाह मानदेय

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रसोइया-सह-सहायक का प्रतिमाह मानदेय (रुपये में)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रसोइया-सह-सहायकों को देय प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय (रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	2000	1000
3	असम	1500	500
4	बिहार	1650	650
5	छत्तीसगढ़	2000	1000
6	गोवा	1000	0
7	गुजरात	3250	2250
8	हरियाणा	7000	6000
9	हिमाचल प्रदेश	4500	3500
10	झारखंड	2000	1000
11	कर्नाटक	3700	2700
12	केरल	12000	11000
13	मध्य प्रदेश	4000	3000
14	महाराष्ट्र	2500	1500
15	मणिपुर	1000	0
16	मेघालय	2000	1000
17	मिजोरम	1500	500
18	नागालैंड	1000	0
19	ओडिशा	2000	1000
20	पंजाब	3000	2000
21	राजस्थान	2003	1003
22	सिक्किम	1000	0
23	तमिलनाडु	4100-12500	3100-11500
24	तेलंगाना	3000	2000
25	त्रिपुरा	2500	1500
26	उत्तर प्रदेश	2000	1000
27	उत्तराखंड	3000	2000
28	पश्चिम बंगाल	1500	500
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1000	0
30	चंडीगढ़	4500	3500
31	दादरा और नगर एवं दमन और दीव	5544	4544
32	दिल्ली	1000	0
33	जम्मू और कश्मीर	1000	0
34	लद्दाख	1000	0
35	लक्षद्वीप	18000-20200	17000-19200
36	पुदुचेरी	10000	9000